भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1182
28.07.2025 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

1182. श्री जिया उर रहमान :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वनों की बढ़ती कटाई, वायु प्रदूषण और अनियमित जलवायु दशाएँ जन स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं;
(ख) यदि हाँ, तो वन क्षेत्र की सुरक्षा, सतत विकास को बढ़ावा देने और सामुदायिक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) सरकार ने वन क्षेत्र की सुरक्षा, संधारणीय विकास को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) कई प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है, जिनमें राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ), नगर वन योजना, तटीय पर्यावास आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी), और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शामिल हैं। ये पहलें वन क्षेत्रों के भीतर और बाहर वनरोपण, वन भूदृश्य बहाली, पर्यावास सुधार, मृदा और जल संरक्षण उपायों तथा जैव विविधता संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिक बहाली में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती हैं।
(ii) वनरोपण में जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान भी शुरू किया है। यह पहल लोगों को अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे प्रकृति के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। यह पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करते हुए कृतज्ञता के एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में कार्य करता है।

(iii) भारत में वन एवं वृक्ष आवरण में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जो वर्तमान में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत है। वर्ष 2005 और वर्ष 2021 के बीच, 2.29 बिलियन टन CO_2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित हुआ है, जिसने देश के जलवायु परिवर्तन उपशमन लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(iv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का लक्ष्य 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त नहीं करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले 130 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह केंद्र और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों की भागीदारी वाली एक बहु-क्षेत्रीय पहल है। एनसीएपी शहर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजनाओं के माध्यम से स्रोत-विशिष्ट उपशमन पर बल देता है। यह स्वच्छ भारत मिशन, एएमआरयूटी, स्मार्ट सिटी मिशन जैसी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के साथ-साथ राज्य और स्थानीय सहयोग से संसाधन जुटाता है। वायु गुणवत्ता उपायों को लागू करने के लिए 130 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों को ₹13,036.52 करोड़ का प्रदर्शन-आधारित अनुदान आवंटित किया गया है।

(v) भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) विकसित की है, जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों में मिशन शामिल हैं। एनएपीसीसी के अंतर्गत नौ में से छह मिशन जल, पर्यावास, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के कार्यनीतिक ज्ञान में अनुकूलन पर केंद्रित हैं। ये सभी मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने की कार्यनीतियों पर केंद्रित हैं और इन्हें संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्थागत रूप दिया और कार्यान्वित किया जाता है। इसके अलावा, चौंतीस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी-अपनी राज्य कार्य योजनाएँ (एसएपीसीसी) तैयार की हैं। एसएपीसीसी को संदर्भ-विशिष्ट बनाया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक राज्य की विभिन्न पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुकूलन कार्यनीतियाँ निर्धारित की गई हैं।

(vi) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) की स्थापना उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुकूलन कार्यकलापों में सहायता हेतु की गई है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं।

(vii) भारत ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग करना जारी रखा है। वर्ष 2005 और वर्ष 2020 के बीच, भारत की सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है।

(viii) भारत की दीर्घकालिक अल्प-कार्बन उत्सर्जन संबंधी विकासात्मक कार्यनीति वर्ष 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए सात प्रमुख कार्यनीतिक बदलावों से युक्त एक रूपरेखा प्रदान करती है, जो साझा किन्तु भिन्न उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं, समता और जलवायु न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें निम्न शामिल हैं:

- विकास के अनुरूप विद्युत प्रणालियों से निम्न-कार्बन उत्सर्जन करते हुए विकास करना;
- एक एकीकृत, कुशल और समावेशी परिवहन प्रणाली विकसित करना;
- शहरी डिज़ाइन, भवनों में ऊर्जा और सामग्री दक्षता, और संधारणीय शहरीकरण में अनुकूलन को बढ़ावा देना;

- अर्थव्यवस्था-व्यापी विकास को उत्सर्जन से अलग करने और एक कुशल, नवीन निम्न-उत्सर्जन औद्योगिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना;
- कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन और संबंधित इंजीनियरिंग समाधानों का विकास;
- सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक विचारों के अनुरूप वन और वनस्पति आवरण को बढ़ाना; और
- निम्न-कार्बन उत्सर्जन संबंधी विकास की आर्थिक और वित्तीय आवश्यकताएँ।

******